विषय :— राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 19.10.2006 का कार्यवाही विवरण :—

मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना — 2004 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 19.10.2006 को प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक में समिति के सभी सदस्य उपस्थित हुए । बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यगण एवं अन्य अधिकारियों की सूची परिशिष्ट में संलग्न है । बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर निम्नानुसार चर्चा हुई एवं निर्णय लिये गये :—

1. एजेण्डा क्रमांक—1के अनुसार समिति की प्रथम बैठक दिनांक 05.07.2006 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई ।

2. एजेण्डा क्रमांक — 2 के अनुसार समिति की प्रथम बैठक दिनांक 05.07.2006 के पालन प्रतिवेदन के संबंध में सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया । समिति पालन प्रतिवेदन से अवगत हुई ।

3. एजेण्डा क्रमांक — 3 में मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना — 2004 के कतिपय नियम एवं योजना के संलग्न फार्म क्रमांक — 1 से 7 तक में संशोधन बावत् प्रस्ताव रखे गये । योजनान्तर्गत नियमों में संशोधन के संबंध में आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा लिखित में अपने अभिमत से आठ दिवस में अवगत कराने के संबंध में बताया गया । योजना के संलग्न फार्म क्रमांक — 1 से 7 के संशोधित प्रपत्र पर समिति द्वारा अनुमोदन दिया गया ।

4. एजेण्डा क्रमांक — 4 में प्रस्तुत योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय / जिला स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति के समक्ष प्रस्तुत होने वाले क्लेम प्रकरण के एजेण्डा नोट एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रारूप का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया । अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि भविष्य में इन्ही अनुमोदित प्रारूप पर कार्यवाही हो ।

5. एजेण्डा क्रमांक — 5 में मेसर्स वी.आर.एस. फूड्स लिमि. औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर (घिरोंगी) जिला — भिण्ड के वर्ष 2004— 05 के प्रथम वर्ष के क्लेम प्रकरण के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :—

(i) आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा अवगत कराया कि इकाई का विद्युत संयोजन दिनांक 08.09.2005 है, जबकि इकाई द्वारा दिनांक 01.03.2005 को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया है । इकाई में विद्युत संयोजन होने के पूर्व

विषय :– राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्द्धन सहायता समिति की प्रथम बैठक दिनांक 05/07/2006 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्द्धन सहायता समिति की प्रथम बैठक दिनांक 05/07/2006 को प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट में संलग्न है । बैठक में प्रमुख सचिव, वित्त अथवा उनके प्रतिनिधि एवं उद्योग आयुक्त अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सके । बैठक में निम्नानुसार चर्चा हुई एवं निर्णय लिए गए :

"1. आयुक्त, वाणिज्यिक कर व्दारा अवगत कराया कि पूर्व प्रचलित वाणिज्यिक कर मुक्ति के नियमों के समान उद्योग निवेश संवर्द्धन सहायता योजना के नियमों में पात्रता प्रमाण पत्र का प्रावधान नहीं है, अतः इकाई की पात्रता राशि की केपिंग, अवधि एवं इकाई की क्षमता के उल्लेख के साथ पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर विचार किया जावे, जिससे विस्तार आदि के संबंध में पूर्णतः स्थिति स्पष्ट हो सके एवं जिसके आधार पर इकाई को उद्योग निवेश संवर्द्धन सहायता की राशि समिति द्वारा स्वीकृत की जा सके । इस संबंध में निर्णय लिया गया कि वाणिज्यिक कर विभाग एवं एम.पी. ट्राइफेक के अधिकारी चर्चा कर उपयुक्त संशोधन का प्रस्ताव रखेंगे ।

2. आयुक्त वाणिज्यिक कर ने समिति को अवगत कराया कि उनके व्दारा वाणिज्यिक कर अधिकारियों को शीघ्र ही समुचित निर्देश दिये जा रहे है कि वे किस तरह से इन प्रकरणों का परीक्षण करे एवं कर राशि जमा करने संबंध प्रमाण पत्र जारी करते समय क्या क्या सावधानियॉ बरतें ।

3. उद्योग निवेश संवर्द्धन सहायता योजना के नियमों में जहॉ भी नियमों में संशोधन की आवश्यकता हो उसमें आवश्यक संशोधन कर उसे सरल किया जाये । एजेण्डा के साथ प्रस्तुत प्रपत्रों पर चर्चा कर अगली बैठक में अनुमोदनार्थ रखा जाये ।

4. अध्यक्ष महोदय ने उद्योग निवेश संवर्द्धन सहायता योजना हेतु अपात्र उद्योगों की सूची शीघ्र जारी किये जाने के संबंध में अवगत कराया ।

5. आगामी बैठक माह जुलाई के तृतीय सप्ताह में [illegible] का निर्णय लिया गया । प्रस्तुत एजेण्डा पर आगामी बैठक में विचार किया जावेगा ।

सभी उपस्थिति को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक [illegible] हुई ।

(अध्यक्ष महो० द्वारा अनुमोदित)

(प्रवीण गर्ग)
प्रबंध संचालक
एवं सदस्य सचिव